रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2015/माघ 15, 1936
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2015 /MAGHA 15, 1936

## वित्त मंत्रालय

### (वित्तीय सेवाएं विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2015

**का.आ. 348(अ).—**केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खंड 13 में,—

(क) उपखंड (2) में,—

(i) मद (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) मद (ख) में "प्रबंध निदेशक" शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात्:-

"(च) ऐसे बैंक जिनमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद प्रवर्तन में नहीं है, वहां इस पद के प्रवर्तन में आने तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पढ़ा जाएगा।"

(ख) अंत में 'स्पष्टीकरण' में 'प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त स्कीम के खंड 13क में,-

(i) उपखंड (2) में, मद (क) के स्थान पर निम्निलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(क) प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी";

(ii) उपखंड (4) में 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपखंड (6) में 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

(iv) उपखंड (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे बैंक जिनमें 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का पद प्रवर्तन में नहीं है, वहां ऐसे पद के प्रवर्तन में आने तक 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पढ़ा जाएगा।"

(4) उक्त स्कीम की तीसरी अनुसूची में, मद (10) 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 13/1/2006-बीओ-I]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3793(अ), 16 नवम्बर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे:—

| क्रम सं. | का.आ. सं. | तारीख |
|---|---|---|
| **1.** | **2.** | **3.** |
| 1. | का.आ. 67(अ) | 17.11.1971 |
| 2. | का.आ. 192(अ) | 15.03.1972 |
| 3. | का.आ. 575(अ) | 04.09.1972 |
| 4. | का.आ. 651(अ) | 25.09.1972 |
| 5. | का.आ. 715(अ) | 16.11.1972 |
| 6. | का.आ. 3467(अ) | 19.11.1973 |
| 7. | का.आ. 1992(अ) | 16.06.1975 |
| 8. | का.आ. 1088(अ) | 18.02.1976 |
| 9. | का.आ. 421(अ) | 21.06.1976 |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | का.आ. 888(अ) | 11.11.1980 |
| 11. | का.आ. 346(अ) | 30.04.1980 |
| 12. | का.आ. 144(अ) | 01.03.1984 |
| 13. | का.आ. 368(अ) | 27.04.1985 |
| 14. | का.आ. 559(अ) | 30.07.1985 |
| 15. | का.आ. 783(अ) | 25.12.1985 |
| 16. | का.आ. 922(अ) | 30.12.1985 |
| 17. | का.आ. 417(अ) | 11.07.1986 |
| 18. | का.आ. 1234(अ) | 31.12.1988 |
| 19. | का.आ. 809(अ) | 01.11.1992 |
| 20. | का.आ. 289(अ) | 03.04.1995 |
| 21. | का.आ. 907(अ) | 10.11.1995 |
| 22. | का.आ. 507(अ) | 05.02.1996 |
| 23. | का.आ. 58(अ) | 20.01.2000 |
| 24. | का.आ. 1172(अ) | 29.12.2000 |
| 25. | का.आ. 197(अ) | 02.03.2001 |
| 26. | का.आ. 251(अ) | 29.02.2007 |
| 27. | का.आ. 334(अ) | 08.03.2007 |
| 28. | का.आ. 1057(अ) | 29.06.2007 |
| 29. | का.आ. 2383(अ) | 15.09.2009 |
| 30. | का.आ. 2736(अ) | 05.12.2011 |
| 31. | का.आ. 42(अ) | 17.12.2014 |

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2015

**S.O. 348(E).—**In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2015.

(*2*) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (herein after referred to as said Scheme), in clause 13,—

(a) in sub-clause (2),—

(i) item (A) shall be omitted;

(ii) in item (B), for the words “The Managing Director” the words “The Managing Director and Chief Executive Officer” shall be substituted;

(iii) after the item (E), the following item shall be inserted; namely:—

"(F) Banks in which the post of Managing Director and Chief Executive Officer has not been operationalised, the term Managing Director and Chief Executive Officer shall be read as Chairman & Managing Director, till such time the post is operationalised."

(b) In the "Explanation" at the end, for the words "managing director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted.

3. In the said Scheme, in clause 13A –

(i) in sub-clause (2), for item (a) the following item shall be substituted, namely:-

"(a) The Managing Director and Chief Executive Officer;";

(ii) in sub-clause (4), for the words "Chairman and Managing Director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted;

(iii) in sub-clause (6), for the words "Chairman and Managing Director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted;

(iv) after sub-clause (8), following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(a) Banks in which the post of "Managing Director and Chief Executive Officer" has not been operationalised, the term "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be read as Chairman & Managing Director, till such time the post is operationalized."

4. In the said Scheme, in The Third Schedule, item (10) for the words "Chairman and Managing Director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted.

[F. No. 13/1/2006-BO. I]

MOHAMMAD MUSTAFA, Jt. Secy.

Note : The principal scheme was published *vide* notification number S.O. 3793(E), dated the 16th November, 1970 and subsequently amended *vide* following notifications :—

| Sl. No. | S.O. No | Date |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | S.O. 67 (E) | 17.11.1971 |
| 2. | S.O. 192 (E) | 15.03.1972 |
| 3. | S.O. 575 (E) | 04.09.1972 |
| 4. | S.O. 651 (E) | 25.09.1972 |
| 5. | S.O. 715 (E) | 16.11.1972 |
| 6. | S.O. 3467 (E) | 19.11.1973 |
| 7. | S.O. 1992 (E) | 16.06.1975 |
| 8. | S.O. 1088 (E) | 18.02.1976 |
| 9. | S.O. 421 (E) | 21.06.1976 |
| 10. | S.O. 888 (E) | 11.11.1980 |
| 11. | S.O. 346 (E) | 30.04.1980 |
| 12. | S.O. 144 (E) | 01.03.1984 |
| 13. | S.O. 368 (E) | 27.04.1985 |
| 14. | S.O. 559 (E) | 30.07.1985 |
| 15. | S.O. 783 (E) | 25.12.1985 |
| 16. | S.O. 922 (E) | 30.12.1985 |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | S.O. 417 (E) | 11.07.1986 |
| 18. | S.O. 1234 (E) | 31.12.1988 |
| 19. | S.O. 809 (E) | 01.11.1992 |
| 20. | S.O. 289 (E) | 03.04.1995 |
| 21. | S.O. 907 (E) | 10.11.1995 |
| 22. | S.O. 507 (E) | 05.02.1996 |
| 23. | S.O. 58 (E) | 20.01.2000 |
| 24. | S.O. 1172 (E) | 29.12.2000 |
| 25. | S.O. 197 (E) | 02.03.2001 |
| 26. | S.O. 251 (E) | 29.02.2007 |
| 27. | S.O. 334 (E) | 08.03.2007 |
| 28. | S.O. 1057 (E) | 29.06.2007 |
| 29. | S.O. 2383 (E) | 15.09.2009 |
| 30. | S.O. 2736 (E) | 05.12.2011 |
| 31. | S.O. 42(E) | 17.12.2014 |

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2015

**का.आ. 349(अ).**—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के खंड 13 में,—

(क) उपखंड (2) में,—

(i) मद (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) मद (ख) में "प्रबंध निदेशक" शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(च) ऐसे बैंक जिनमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद प्रवर्तन में नहीं है, वहां इस पद के प्रवर्तन में आने तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पढ़ा जाएगा।"

(ख) अंत में 'स्पष्टीकरण' में 'प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त स्कीम के खंड 13क में,—

(i) उपखंड (2) में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(क) प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी";

(ii) उपखंड (4) में 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपखंड (6) में 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

(iv) उपखंड (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे बैंक जिनमें 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का पद प्रवर्तन में नहीं है, वहां ऐसे पद के प्रवर्तन में आने तक 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पढ़ा जाएगा।"

(4) उक्त स्कीम की तीसरी अनुसूची में, मद (10) 'अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक' शब्दों के स्थान पर 'प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 13/1/2006-बीओ-I]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 875(अ), 04 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे:—

| क्रम सं. | का.आ. सं. | तारीख |
|---|---|---|
| **1.** | **2.** | **3.** |
| 1. | का.आ. 345 (अ) | 30.04.1983 |
| 2. | का.आ. 145 (अ) | 01.03.1984 |
| 3. | का.आ. 369 (अ) | 27.04.1985 |
| 4. | का.आ. 560 (अ) | 30.07.1985 |
| 5. | का.आ. 784 (अ) | 25.10.1985 |
| 6. | का.आ. 923 (अ) | 30.12.1985 |
| 7. | का.आ. 418 (अ) | 11.07.1986 |
| 8. | का.आ. 1235 (अ) | 31.12.1988 |
| 9. | का.आ. 810 (अ) | 01.11.1992 |
| 10. | का.आ. 290 (अ) | 03.04.1995 |
| 11. | का.आ. 908 (अ) | 10.11.1995 |
| 12. | का.आ. 508 (अ) | 05.02.1996 |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | का.आ. 59 (अ) | 20.01.2000 |
| 14. | का.आ. 1173 (अ) | 29.12.2000 |
| 15. | का.आ. 198 (अ) | 02.03.2001 |
| 16. | का.आ. 252 (अ) | 19.02.2007 |
| 17. | का.आ. 335 (अ) | 08.03.2007 |
| 18. | का.आ. 1058 (अ) | 29.06.2007 |
| 19. | का.आ. 2384 (अ) | 15.09.2009 |
| 20. | का.आ. 2737 (अ) | 05.12.2011 |
| 21. | का.आ. 43 (अ) | 17.12.2014 |

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2015

**S.O. 349(E).—**In exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following Scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2015.

(*2*) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (herein-after referred to as said Scheme), in clause 13,—

(a) in sub-clause (2),—

(i) item (A) shall be omitted;

(ii) in item (B), for the words "The Managing Director" the words "The Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted;

(iii) after the item (E), the following item shall be inserted; namely:—

"(F) Banks in which the post of Managing Director and Chief Executive Officer has not been operationalised, the term Managing Director and Chief Executive Officer shall be read as Chairman & Managing Director, till such time the post is operationalised."

(b) In the "Explanation" at the end, for the words "managing director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted.

3. In the said Scheme, in clause 13A—

(i) in sub-clause (2), for item (a) the following item shall be substituted, namely:—

"(a) The Managing Director and Chief Executive Officer;";

(ii) in sub-clause (4), for the words "Chairman and Managing Director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted;

(iii) in sub-clause (6), for the words "Chairman and Managing Director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted;

(iv) after sub-clause (8), following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(a) Banks in which the post of "Managing Director and Chief Executive Officer" has not been operationalised, the term "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be read as Chairman & Managing Director, till such time the post is operationalized."

4. In the said Scheme, in The Third Schedule, item (10) for the words "Chairman and Managing Director" the words "Managing Director and Chief Executive Officer" shall be substituted.

[F. No. 13/1/2006-BO. I]

MOHAMMAD MUSTAFA, Jt. Secy.

**Note :** The principal scheme was published *vide* notification number S.O. 875(E), dated the 4th November, 1980 and subsequently amended vide following notifications :—

| Sl. No. | S.O. No | Date |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | S.O. 345 (E) | 30.04.1983 |
| 2. | S.O. 145 (E) | 01.03.1984 |
| 3. | S.O. 369 (E) | 27.04.1985 |
| 4. | S.O. 560 (E) | 30.07.1985 |
| 5. | S.O. 784 (E) | 25.10.1985 |
| 6. | S.O. 923 (E) | 30.12.1985 |
| 7. | S.O. 418 (E) | 11.07.1986 |
| 8. | S.O. 1235 (E) | 31.12.1988 |
| 9. | S.O. 810 (E) | 01.11.1992 |
| 10. | S.O. 290 (E) | 03.04.1995 |
| 11. | S.O. 908 (E) | 10.11.1995 |
| 12. | S.O. 508 (E) | 05.02.1996 |
| 13. | S.O. 59 (E) | 20.01.2000 |
| 14. | S.O. 1173 (E) | 29.12.2000 |
| 15. | S.O. 198 (E) | 02.03.2001 |
| 16. | S.O. 252 (E) | 19.02.2007 |
| 17. | S.O. 335 (E) | 08.03.2007 |
| 18. | S.O. 1058 (E) | 29.06.2007 |
| 19. | S.O. 2384 (E) | 15.09.2009 |
| 20. | S.O. 2737 (E) | 05.12.2011 |
| 21 | S.O. 43(E) | 17.12.2014 |

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.